16/5/23

को पेश हुआ

पक्षकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित गवाह
द्वारा - प्रार्थना पत्र पेश कर गवाह को तलब
कराया जाना चाहा। की जाकर इस प्रार्थना पत्र -
का कोई औचित्य नहीं पाया जाता।

अतः प्रार्थना पत्र - 212 RTS दर्ज रजिस्टर
तलबी गवाह की पक्षकार के खर्चे अनुसार
तलब गवाह के नाम की जगह खारिज किया
जाये।

Haveda

9.5.23

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड दण्डनायक
(भरतपुर) राज.

Scanned with CamScanner